

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF COAL  
RAJYA SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 2439  
TO BE ANSWERED ON 08.08.2022

**Revision of pension for coal sector workers**

**2439 Shri Binoy Viswam:**

Will the Minister of *Coal* be pleased to state:

- (a) whether Government is aware that the Coal Mines Pension Scheme provides revision of pension of coal workers every three years;
- (b) whether Government is also aware that the last revision was done in 1998, if so, the reason for non-revision; and
- (c) whether Government will give an assurance that revision will take place this year considering the abysmal pensions?

**ANSWER**

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES  
(SHRI PRALHAD JOSHI)

- (a) Coal Mines Pension Scheme, 1998 provides for valuation and review of the pension fund. The Commissioner, Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) is responsible for valuation of the Pension Fund every third year by an Actuary to be appointed by the Board of Trustees, CMPFO (BoT). When the Pension Fund permits, BoT on the recommendation of an Actuary and with the approval of the Central Government may amend the rates of contribution payable under the Scheme or the scale of any benefits admissible or the period for which such benefit may be allowed;
- (b) Coal Mines Pension Scheme, 1998 came into force on 31<sup>st</sup> day of March, 1998 as a defined contribution defined benefit scheme. However, the contribution is not commensurate with the benefit. The actuarial evaluation report, which is based on the detailed analysis and taking into account various critical aspects like

defined contribution for defined benefit, number of pensioners, number of active workers, their dependents etc., to make the funds sustainable, was placed before the BoT from time to time. However, due to the resistance by the Central Trade Union representatives, who are also members of the BOT, the recommendation of the actuary to enhance pension contribution could not be implemented. The contribution to the fund was revised to 14 per cent from the erstwhile 4.91 per cent with effect from 1<sup>st</sup> October, 2017. Despite this, contribution to the fund is less than the disbursement. Upward revision of pension was not possible due to the gap between accrual and disbursement. Average monthly contribution and disbursement during the years 2020-21 and 2021-22 are given in the table below:

Financial Year	Average monthly contribution (Rs. in crore)	Average monthly disbursement (Rs. in crore)
2020-21	280.54	328.01
2021-22	295.21	356.97

As per actuarial valuation, net liability of pension was Rs. 40,976.64 crores as on 31<sup>st</sup> March, 2015 which has increased to Rs. 42,391.63 crores as on 31<sup>st</sup> March, 2019.

(c) Revision of pension is not possible due to the widening gap between contribution to the fund and pension disbursement.

\*\*\*\*

भारत सरकार  
कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2439

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन में संशोधन

2439. श्री बिनोय विस्वम:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयला खान पेंशन योजना के अंतर्गत कोयला क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन में प्रत्येक तीन वर्ष में संशोधन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त के पेंशन में पिछला संशोधन 1998 में किया गया था, यदि हां, तो संशोधन नहीं किये जाने का क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी की पेंशन की खराब स्थिति को देखते हुए इस वर्ष पेंशन में संशोधन किया जाएगा?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोयला खान पेंशन योजना, 1998 में पेंशन निधि के मूल्यांकन और समीक्षा का प्रावधान है। आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), न्यासी बोर्ड (बीओटी), सीएमपीएफओ द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीमांकक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। पेंशन फंड में अनुमत होने पर, बीओटी बीमांकक की सिफारिश पर और केंद्र सरकार के अनुमोदन से योजना के तहत देय अंशदान की दरों या स्वीकार्य किसी भी लाभ के पैमाने या अवधि जिसके लिए इस तरह के लाभ की अनुमति दी जा सकती है, में संशोधन कर सकता है।

(ख) : कोयला खान पेंशन योजना, 1998, 31 मार्च, 1998 को एक निश्चित अंशदान परिभाषित लाभ योजना के रूप में लागू हुई। तथापि, यह अंशदान लाभ के समान नहीं है। बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है और इसे निधियों को संधारणीय बनाने हेतु

नियत लाभ के लिए निर्धारित अंशदान, पेंशनभोगियों की संख्या, सक्रिय कामगारों की संख्या, उनके आश्रितों आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बीओटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तथापि, केंद्रीय व्यापार संघों के प्रतिनिधियों, जो बीओटी के सदस्य भी हैं, के प्रतिरोध के कारण, पेंशन अंशदान को बढ़ाने के लिए बीमांकक की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से निधि में अंशदान को पूर्ववर्ती 4.91 प्रतिशत से संशोधित कर 14 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके बावजूद, निधि में अंशदान संवितरण से कम है। संग्रहण और संवितरण के बीच अंतर के कारण पेंशन का अधिक पुनरीक्षण संभव नहीं था। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान औसत मासिक अंशदान और संवितरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष	औसत मासिक अंशदान (रूपए करोड़ में)	औसत मासिक संवितरण (रूपए करोड़ में)
2020-21	280.54	328.01
2021-22	295.21	356.97

बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन की निवल देयता 31 मार्च, 2015 को 40,976.64 करोड़ रु. थी जो 31 मार्च, 2019 को बढ़कर 42,391.63 करोड़ रुपये हो गई है।

(ग) : निधि में अंशदान और पेंशन संवितरण के बीच बढ़ते अंतर के कारण पेंशन में संशोधन संभव नहीं है।

\*\*\*\*\*